

(ख) अहमदाबाद और बम्बई के बीच एयरबस सेवा आरम्भ करने की मांग की क्या स्थिति है और यह सेवा कब तक आरम्भ कर दी जायेगी ;

(ग) बम्बई-बड़ौदा-दिल्ली सेवा कब तक आरम्भ हो जायेगी ; और

(घ) बम्बई-अहमदाबाद-इन्दौर-भोपाल-वाराणसी-कलकत्ता-बम्बई विमान मार्ग कब तक चालू किये जाने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) फिलहाल अहमदाबाद विमान क्षेत्र को एक अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) इंडियन एयर लाइन्स की बम्बई तथा अहमदाबाद के लिये एयरबस सेवा आरम्भ करने की कोई योजना नहीं है । बम्बई-अहमदाबाद एक छोटा सैक्टर है तथा एयरबस की परिचालन लागत इतनी अधिक आयेगी कि यह सेवा अलाभप्रद सिद्ध होगी । इसके अलावा बम्बई तथा अहमदाबाद के बीच यातायात की मांग भी केवल सामयिक होती है तथा यातायात की ऐसी मांग किसी एक समय पर विशालकाय (278 सीटों वाले) विमान के औचित्य को सिद्ध नहीं करती । बम्बई तथा अहमदाबाद के बीच इस समय बोइंग 737 विमान से प्रत्येक दिशा में एक प्रातःकालीन सेवा तथा दो सायंकालीन सेवाएँ इस मार्ग पर यातायात की अपेक्षाओं को पर्याप्त रूप से पूरा करती हैं ।

(ग) 1982-83 की शीतकालीन समय-सारणी में बम्बई-बड़ौदा-दिल्ली मार्ग पर बोइंग 737 सेवा चालू करने की योजनाएँ हैं ।

(घ) नयी संयोजी विमान सेवाएँ चालू करने से पहले इंडियन एयरलाइंस

वर्तमान मार्ग तंत्र पर, जहाँ अपेक्षित हों, पर्याप्त क्षमता प्रदान करने का प्रयत्न करने की इच्छुक है । परिचालन को बढ़ती हुई लागत को दृष्टि में रखते हुए किसी भी नयी सेवा पर केवल फालतू क्षमता उपलब्ध हो जाने तथा इस सेवा की आर्थिक व्यवहार्यता का औचित्य सिद्ध हो जाने के पश्चात् ही विचार किया जा सकता है ।

बिहार में जमा राशियों के अनुपात में ऋण दिया जाना

424. श्री कुंदर राम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जमा राशियों के अनुपात में ऋण दिये जाने के लिये बिहार में स्थित राष्ट्रीय-कृत बैंकों को दिये गये मार्ग-निर्देशों का व्योरा क्या है ;

(ख) वर्ष 1981-82 के दौरान बिहार में कितने स्थानों पर बैंकों की शाखाएं खोली गई हैं और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितने स्थानों पर नई शाखाएं खोली जायेंगी ; और

(ग) बिहार में विभिन्न ब्रांचों में पड़े ऋण के लिये लगभग एक लाख आवेदन पत्रों के निपटान के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक सरकार द्वारा बैंकों को, जमाओं के अनुपात में अग्रिमों के संवितरण के संबंध में कोई विशिष्ट मार्ग-दर्शी सिद्धांत जारी नहीं किए गए हैं सिवाए इसके कि उन से ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं में 60 प्रतिशत ऋण जमा अनुपात को सुनिश्चित करने, और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के वास्ते बड़ी क्षेत्रीय घट-बढ़ को रोकने को कहा गया है । अलबत्ता, पूर्वी क्षेत्र में, बैंकिंग विकास की समीक्षा के बाद, 30 जून, 1982

को भुवनेश्वर में हुई क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में, बैंकों से कहा गया कि वे समूचे पूर्वी क्षेत्र और विशेष रूप से बिहार, पश्चिम बंगाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अपने अग्रिमों को बढ़ाने के नियोजित प्रयास करें जिससे कि उनके ऋण जमा अनुपातों में वृद्धि हो।

(ख) वर्ष, 1981-82 के दौरान, बिहार में बैंकों ने 429 शाखाएं खोली। इसके अलावा, मार्च, 1982 के अंत की स्थिति के अनुसार, राज्य में 605 और कार्यालय खोलने के वास्ते बैंकों के पास प्राधिकृतियां बकाया थीं नामों और स्थानों के संबंध में यथा उपलब्ध सूचना तैयार की जाएगी और सदन के पटल पर रख दी जाएगी। 1982-85 के नए शाखा-विस्तार कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ग) समय से ऋण सुविधाओं की स्वीकृति को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से बैंकों को, शाखा प्रबंधकों में समुचित विवेकाधीन शक्तियां निहित करने की सलाह दी गयी जिससे कि 60 से 80 प्रतिशत ऋण निर्णय शाखा स्तर पर ही किये जा सकें। इसके अलावा बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह भी दी गयी कि एक लाख रुपए की अंतर्ग्रस्तता वाले और 2 लाख रुपये से अनधिक के ऋण प्रस्तावों को सामान्यतः क्रमशः 30 दिन और 8 9 से सप्ताहों के भीतर निपटा दिया जाए।

Setting up of new units of ordnance factories in Bihar

425. SHRI KUNWAR RAM: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up new units of ordnance factories in Bihar keeping in view the availability of raw materials, cheap labour and means of transportation there; and

(b) If so, the names of the places where they are proposed to be set up and at what cost?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI K. P. SINGH DEO): (a) and (b). It is not in public interest to give this information on the floor of the House.

बिहार से निर्यात किए गए हथकरघा और हस्तशिल्प की वस्तुयें

426. श्री कुंवर राम : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में हथकरघा और हस्तशिल्प की कितनी वस्तुएं बनाई जाती हैं जिनका निर्यात किया जाता है ;

(ख) इनमें से कितनी वस्तुओं का निर्यात और अधिक बढ़ने की संभावना है ; और

(ग) इसके लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) निर्यात आंकड़े अखिल भारतीय आधार पर संकलित किए जाते हैं न कि राज्य-वार। इसलिए बिहार में बनी हथकरघा तथा हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात के सम्बन्ध में जानकारी प्रस्तुत करना संभव नहीं है।

(ख) बिहार में बनाए जाने वाली हथकरघा वस्तुओं की व्यापक श्रेणियां जिनकी निर्यात संभाव्यता है वे ये हैं : हाथ से बुने टसर शिल्क उत्पाद तथा जनजातीय मूल भावना सहित अलंकृत तैयार वस्त्र। इसी प्रकार हस्तशिल्प वस्तुओं के मामले में बिहार में बनाए जाने वाली मधुबनी लोक चित्रकला, हाथ से छपी रेशम, सिक्की घास की वस्तुएं, प्रलाक्षा की वस्तुएं तथा गोटा-पट्टा के काम वाली वस्तुओं में निर्यात संभाव्यता है।

(ग) हथकरघा उत्पादों की निर्यात योग्य किस्मों को विकसित करने के लिए भारत सरकार से वित्तीय सहायता लेकर